ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 125-129
ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- III, Issues-25, YEAR- July-Sept.-2022

स्वतंत्र भारत में महिला शिक्षा के विकास हेतु प्रयास

डॉ0 आलोक कुमार पाण्डेय
सहायक प्राध्यापक– इतिहास, श्री कृष्णा यूनिर्वसिटी, छत्तरपुर (म0प्र0) भारत

Received-17.07.2022, Revised-23.07.2022, Accepted-28.07.2022 E-mail: pandeyvivekkumar158@gmail.com

सारांशः – प्रजातंत्र की सफलता के लिए स्त्रियों का जीवन के हर क्षेत्र में सहभागी होना आवश्यक माना गया है। इसीलिए भारतीय संविधान में राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सभी दृष्टि से स्त्री शिक्षा के विकास हेतु महत्वपूर्ण प्रावधान दिये गये हैं। महिला शिक्षा के सम्बन्ध में जगजीवन राम का कथन है कि "एक कन्या को पढ़ा देने से आगे आने वाली पीढ़ी सुशिक्षित होगी।" तुम मुझे सुशिक्षित माताएं दो मै एक सुशिक्षित राष्ट्र का निर्माण कर दूँगा।" नेपोलियन का यह कथन आधुनिक भारतीय समाज में महिला शिक्षा के महत्व को उजागर करता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने स्त्रियों की शिक्षा व्यवस्था में बहुत सुधार किया है। उनकी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति पहले से बहुत सुदृढ़ और सम्मानजनक हुई है। आज भारतवर्ष में स्त्रियों की पुरुषों की भाँति समान अधिकार प्राप्त है। ये जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में चाहे वह धार्मिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं शैक्षिक हों पुरुष के साथ कन्धे से कन्ध मिलाकर कार्य कर रही हैं।

कुंजीभूत शब्द– प्रजातंत्र, जीवन सहभागी, भारतीय संविधान, राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक।

आधुनिक भारतीय समाज में जब शैक्षिक अवसरों में समानता की बात कही जाती है तो महिला और पुरुष की समान शिक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान जाता है। हमारे देश में वैदिक काल से ही यह सार्वभौमिक सत्य और सिद्धान्त प्रचलित है कि स्त्री जाति पृथ्वी पर नैतिकता, मानवता और सभ्यता के विकास का अपरिचित स्रोत रही है। वैदिक काल से ही स्त्री जाति को माता–पत्नी और स्त्री के विविध सम्बन्धों में पूज्य माना जाता रहा है। कहा भी गया है – "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता"। अर्थात् जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है।[1] किन्तु प्राचीन और मध्य युगीन भारतीय समाज में स्त्रियों की शिक्षा की दशा बहुत ही दयनीय थी। उनको पिता, पति और पुत्र के दासत्व को स्वीकार करने के कर्तव्य का ज्ञान कराने मात्र को ही उस समय स्त्री शिक्षा की इतिश्री समझा जाता था। स्वामी विवेकानन्द ने इस दशा का अवलोकन करते हुए कहा था कि "भारतीय नारी की स्थिति दूसरों पर दासत्व निर्भरता की है"।[2] परन्तु आधुनिक भारतीय समाज में महिला शिक्षा की स्थिति समाज में सुधार की ओर तीव्र गति से बढ़ रही है। प्रजातंत्र की सफलता के लिए स्त्रियों का जीवन के हर क्षेत्र में सहभागी होना आवश्यक माना गया है। इसीलिए भारतीय संविधान में राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सभी दृष्टि से स्त्री शिक्षा के विकास हेतु महत्वपूर्ण प्रावधान दिये गये हैं। महिला शिक्षा के सम्बन्ध में जगजीवन राम का कथन है कि "एक कन्या को पढ़ा देने से आगे आने वाली पीढ़ी सुशिक्षित होगी।"[3] तुम मुझे सुशिक्षित माताएं दो मै एक सुशिक्षित राष्ट्र का निर्माण कर दूँगा।" नेपोलियन का यह कथन आधुनिक भारतीय समाज में महिला शिक्षा के महत्व को उजागर करता है।[4]

स्वतंत्रता के पश्चात आधुनिक भारतीय समाज में महिला शिक्षा के विकास हेतु आवश्यक सामाजिक, आर्थिक और संवैधानिक प्रयास किये गये और एक नये युग का शुभारम्भ हुआ। 1947 के बाद महिला शिक्षा की प्रगति हेतु प्रयास तीव्र गति से हुए। भारतीय संविधान में महिला शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने हेतु कुछ विशेष विधान किये गये। अनुच्छेद 15 (1), 16 (1), 16 (2) में उल्लिखित है कि किसी भी नागरिक से लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जायेगा।5 भारतीय सरकार ने नारी उत्थान के लिए श्रीमती पटनायक की अध्यक्षता में नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन की स्थापना की।6 स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से आधुनिक भारतीय समाज में महिला साक्षरता का स्तर भी तीव्र गति से बढ़ा है। 1951 में नारी साक्षरता की दर 8.86 प्रतिशत थी जो 2011 में बढ़कर 65.46 प्रतिशत तक पहुँच गयी है। विभिन्न भारतीय राज्यों में महिला शिक्षा की स्थिति को निम्न सारणी के माध्यम से स्पष्ट किया जा रहा है।

क्रमवार महिला साक्षरता दर (वर्ष 2011 की जनगणनानुसार)

रैंकिंग	राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश	साक्षरता दर (प्रतिशत)	रैंकिंग	राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश	साक्षरता दर (प्रतिशत)
1.	केरल	92.07	19.	पश्चिम बंगाल	70.54
2.	मिजोरम	89.27	20.	उत्तराखण्ड	70.01
3.	लक्षद्वीप	87.90	21.	गुजरात	69.80
4.	गेवा	84.66	22.	कर्नाटक	68.08

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- III, Issues-25, YEAR- July-Sept.-2022

5.	त्रिपुरा	82.73	23.	असम	66.27
6.	अण्डमान–निकोबार	82.40	24.	हरियाणा	65.94
7.	चण्डीगढ़	81.20	25.	दादरा एवं नगर हवेली	64.30
8.	दिल्ली	80.76	26.	ओडिशा	60.24
9.	पाण्डिचेरी	80.70	27.	छत्तीसगढ़	60.24
10.	दमन–दीव	79.60	28.	आन्ध्र प्रदेश	59.74
11.	नागालैण्ड	76.11	29.	मध्य प्रदेश	59.24
12.	हिमाचल प्रदेश	75.93	30.	अरुणाचल प्रदेश	57.70
13.	महाराष्ट्र	75.87	31.	उत्तर प्रदेश	57.18
14.	सिक्किम	75.61	32.	जम्मू–कश्मीर	56.43
15.	तमिलनाडू	73.44	33.	झारखण्ड	55.42
16.	मेघालय	72.89	34.	राजस्थान	52.12
17.	मणिपुर	73.37	35.	बिहार	51.50

स्रोत– नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गनाइजेषन तथा केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन

आधुनिक भारतीय समाज में महिला को समान शैक्षिक अवसर उपलबध कराने तथा महिला शिक्षा के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए अनेक संवैधानिक आयोगों एवं समितियों का गठन किया गया जिन्होंने महिला शिक्षा के विकास हेतु संवैधानिक स्तर पर प्रयास किये। जिनमें से प्रमुख प्रयास निम्न हैं–

राधाकृष्णन आयोग (1948–49)– यद्यपि इस आयोग का गठन उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करने के लिए किया गया था जिसके कारण इसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। यह स्वतंत्र भारत का सबसे पहला शिक्षा आयोग था।[9] मगर इस आयोग में स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ सुझाव प्रस्तुत किये। स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में आयोग का यह कथन उल्लेखनीय है कि "शिक्षित स्त्रियों के बगैर शिक्षित व्यक्ति तथा समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है।[10] इस आयोग ने आधुनिक भारतीय समाज में महिला शिक्षा के विकास हेतु सुझाव दिये।

माध्यमिक शिक्षा आयोग (मुदालियर आयोग) 1952– 23 सितम्बर 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉ0 लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया।[11] आयोग ने सुझाव दिया कि महिला शिक्षा के पाठ्यक्रम में कला, वाणिज्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा मानवशास्त्र जैसे पारम्परिक विषयों के अलावा वैकल्पिक विषय के रूप में गृह विज्ञान, गृह शिल्प तथा गृह उद्योग जैसे विषयों की उपलब्धता सुनिश्चित करवानी चाहिए। विशेषकर माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के स्तर पर इस प्रकार व्यवस्था को वरीयता दी जानी चाहिए।

राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति (देशमुख समिति 1958–59) तथा राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का गठन– द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956–57) के दौरान स्त्रीय शिक्षा के प्रसार तथा शिक्षिकाओं के उचित शिक्षण–प्रशिक्षण के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए। इसी संदर्भ में अपने सुझाव प्रस्तुत करने के लिए केन्द्र सरकार ने श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में वर्ष 1958 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा–समिति का गठन किया। समिति ने फरवरी 1959 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें स्त्री शिक्षा के संदर्भ में सुझाव दिया कि, स्त्रियों की समुचित शिक्षा के लिए अलग से प्राशासनिक ढ़ाँचा बनाए जाए। राष्ट्रीय स्तर पर 'राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद' तथा प्रांतीय स्तर पर 'राज्य महिला शिक्षा परिषद' का गठन किया जाए। ये परिषदें स्त्री शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए उत्तरदायी होंगी।

देशमुख समिति के सुझाव व सिफारिशों के आधार पर वर्ष 1959 में केन्द्र सरकार ने "राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद" का गठन किया। जिसके निर्देशन में स्त्री शिक्षा को काफी तीव्र गति मिली। तत्कालीन सरकार के उक्त प्रयासों का ही नतीजा था कि वर्ष 1951 में छात्राओं की संख्या जहाँ 60 लाख थी, वहीं वर्ष 1961 में बढ़कर 140 लाख तक पहुँच गई।[12]

हंसा मेहता समिति (1942)– तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961–66) के दौरान महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 1962 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद (NCWF) ने श्रीमती हंसा मेहता की अध्यक्षता में स्त्री शिक्षा के पुनर्गठन हेतु सुझाव देने के लिए 'हंसा मेहता समिति' का गठन किया।[13] समिति ने प्राथमिक स्तर पर लड़के–लड़कियों के लिए समान पाठ्यक्रम, माध्यमिक स्तर पर लड़कियों के लिए गृह विज्ञान शिक्षा, बालिकाओं के लिए अलग से व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था किये जाने का सुझाव दिया।

कोठारी आयोग (1964–66)– तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद ने हंसा मेहता समिति

तथा उसके बाद वर्ष 1963 में "भक्तवत्सलम् समिति का गठन किया। भक्तवत्सलम् समिति को ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा के पुनगर्ठन सम्बन्धी सुझावों को प्रस्तुत करने का दायित्व सौंपा गया।[14] इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्र में स्त्री शिक्षा के लिए विशेष बुनियादी सुविधाएं व संसाधन तथा अनुदान व प्रोत्साहन उपलब्ध कराने एवं सहभागिता बढ़ाने के लिए सरकारी स्तर पर व्यापक व प्रभावी कदम बढ़ाने के सुझाव दिए।

14 जुलाई 1964 को विष्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के तत्कालीन अध्यक्ष डॉ0 डी0एस0कोठारी की अध्यक्षता में 17 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। कोठारी आयोग ने स्त्री शिक्षा के संदर्भ में भी महत्वूपर्ण सुझाव दिए। स्त्री शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए आयोग का यह कथन उल्लेखनीय है – हमारे मानव संसाधनों के पूर्ण विकास, पारिवारिक व सामाजिक उत्थान तथा शैशवावस्था के प्रारम्भिक वर्षों में अत्याधिक सरलता से प्रभावित होने वाले बच्चों में उच्च मानवीय मूल्यों एवं चारित्रिक गुणों के विकास के लिए स्त्रियों की शिक्षा का महत्व पुरुषों की शिक्षा से भी अधिक है।[15]

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)– सन् 1986 में घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्त्रियों की शिक्षा में व्यापक परिवर्तन लाने की संकल्पना की गयी। 1986 को शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन से सम्बन्धी कार्य योजना दस्तावेज नवम्बर 1986 में प्रकाषित किया गया। इस कार्ययोजना को 24 भागों में विभाजित किया गया। जिसका 12 वाँ भाग "नारी समानता के लिए शिक्षा" के नाम से उल्लिखित व प्रकाशित किया गया।[15] इस भाग में बालिकाओं के लिए अलग से स्कूल व कॉलेज खोलने, बालिकाओं के लिए और अधिक छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करने और शिक्षकों की नियुक्ति में महिला शिक्षिकाओं को वरीयता देने लिए कार्ययोजना प्रस्तुत की गई।

राममूर्ति समीक्षा समिति (1990–91)– राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए मई 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक 17 सदस्तीय समिति का गठन किया। समिति ने बालिका शिक्षा के लिए सुझाव दिये। जैसे–अध्यापिकाओं की अधिक से अधिक नियुक्ति की जाये, विद्यालय में पोषण, स्वास्थ्य तथा बाल विकास का समावेश किया जाये। विभिन्न स्तरों पर महिला अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना की जाये तथा महिला शिक्षा के लिए अलग से धन का प्रावधान किया जाए।

महिला समाख्या (1989)– महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाने की दृष्टि से 1989 में एक महिला समाख्या योजना प्रारम्भ की गयी और इसे शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया गया। महिला समाख्या का अर्थ है शिक्षा द्वारा महिला को समानता देना। यह कार्यक्रम आठ राज्यों के 51 जिलों में चलाया जा रहा है। ये आठ राज्य हैं – असम, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य–प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इस समय लगभग 2.47 लाख अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र हैं जिनमें से 1.18 लाख अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र केवल लड़कियों के लिए सुरक्षित हैं। लड़कियों की शिक्षा के लिए अधिक प्रोत्साहित करने के लिए बोर्डिंग और हास्टल की सुविधायें भी बढ़ायी जा रही हैं। ग्रामीण और कमजोर वर्ग की लड़कियों की पढ़ाई के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता भी दी जा रही है।[16]

सर्वशिक्षा अभियान– वर्ष 2001 में एक राष्ट्रीय अभियान के रूप में "सर्वशिक्षा अभियान" (SSA) की शुरुआत की गई, जिसका प्रमुख उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को हासिल करना था। इस बीच 28 नवम्बर 2001 को शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने सम्बन्धी 93 वाँ संविधान संषोधन विधेयक लोक सभा से पारित होने के पश्चात वर्ष 2002 से यह कानूनी शक्ल में आ गया। जिसे "86वाँ संविधान अधिनियम 2002" के नाम से जाना जाता है। इसके अन्तर्गत भारतीय संविधान में "अनुच्छेद 21 (क)" जोड़ा गया जिसके अनुसार 6–14 आयुवर्ग के बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान बनाया गया। 17 उक्त प्रयासों से स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में और प्रगति देखने को मिली।

सर्वशिक्षा अभियान के तहत छात्रों का नामांकन बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किये गये। लड़कियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें वितरित की गईं तथा उन्हें विशेष शिक्षण–प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था की गई। इसके अलावा प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों में महिला शिक्षिकाओं की संख्या भी बढ़ाई गई। इन्हीं प्रयासों के चलते वर्ष 2001 तक अध्ययनरत छात्राओं के नामांकन की संख्या 8.37 करोड़ तक पहुंच गई।

10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जुलाई 2004 से "कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना" (झ्ळठटच्) भी शुरू की गई। जिसके अन्तर्गत गरीब, पिछड़े तथा अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं के लिए आवसीय बालिका उच्च प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना का कार्य शुरू किया गया। इसमें 25 प्रतिशत स्थान गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की बालिकाओं के लिए आरक्षित हैं। अब तक देशभर में इस प्रकार के 2000 आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जा चुकी है। जिनमें 2 लाख छात्राएं पंजीकृत हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के अधिकांश भागों में माध्यमिक स्तर तक बालिका–शिक्षा को सरकारी स्तर पर शुल्क मुक्त कर दिया गया। कुछ राज्यों ने तो उच्च–शिक्षा स्तर पर स्त्री–शिक्षा

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- III, Issues-25, YEAR- July-Sept.-2022

निःशुल्क करने की घोषणा कर दी। वर्ष 2005–06 तक देश के अध्ययनरत छात्राओं की संख्या 10.9 करोड़ हो गई। जो कि वर्ष 2001 की तुलना में 2.63 करोड़ अधिक थी।[18]

यह आजादी के बाद इतनी अल्पवाधि में स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में दर्ज सर्वाधिक वृद्धि थी। शायद इसीलिए इस दौर को भारत में नारी चेतना (महिला सशक्तीकरण) तथा जागरुकता का प्रगतिशाली दौर कहा जा सकता है।

बलिका शिक्षा हेतु विशिष्ट प्रयास– वर्तमान में भारत सरकार द्वारा बालिका शिक्षा के विकास एवं शिक्षा क्षेत्र में बालिकाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए निम्न प्रयास किये जा रहे हैं–

- जवाहर नवोदय विद्यालयों में एक तिहाई सीटें बालिकाओं के लिए आरक्षित कर दी गई है।
- विशिष्ट लिंगमूलक शिक्षा सूचकों हेतु कार्यक्रम हस्तक्षेपों हेतु बालिकाओं के लिए नीची उपलब्धियों वाले भौगोलिक क्षेत्रों को चिन्हित करने के लिए डिजिटल जेण्डर तैयार किया जा रहा है।
- बालिकाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण कराया जा रहा है।
- विद्यालयों में छात्रों तथा छात्राओं हेतु पृथक–पृथक शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है।
- केवल महिलाओं की शिक्षा हेतु 14 महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी।
- उच्च शिक्षा में 34.6 मिलियन विद्यार्थी शिक्षारत (2015–16) जिसमें से 46.2 प्रतिशत लड़कियाँ हैं।
- उच्च शिक्षा में संचालित 40760 महाविद्यालयों में से 11.1 प्रतिशत महाविद्यालय केवल लड़कियों के लिए हैं।
- स्वामी विवेकानन्द सिंगिल चाइल्ड फेलोशिप फार रिसर्च इन सोशल साइंसेज।
- इन्दिरा गांधी पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप फॉर सिंगिल गर्ल्स चाइल्ड।
- बालिका शिक्षा को प्रोन्नत करने के लिए 'नेशनल स्कीम फॉर इंसेन्टिव, टु गर्ल्स फॉर सेकेण्डरी एजूकेशन (NSIGSE) माध्यमिक विद्यालयों में बालिकाओं की विद्यालय छोड़ देने की दर को नियंत्रित करने के लिए क्रियान्वित किया जा रहा है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की बालिकाओं को माध्यमिक विद्यालयों में प्रवेश दिलाने तथा शिक्षा पूरी करने तक विद्यालयों में रोके रखने पर केन्द्रित यह कार्यक्रम–

(i) कथा 8 उत्तीर्ण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सभी छात्राओं।
(ii) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों से कक्षा 8 उत्तीर्ण सभी छात्राओं पर केन्द्रित है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने स्त्रियों की शिक्षा व्यवस्था में बहुत सुधार किया है। उनकी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति पहले से बहुत सुदृढ़ और सम्मानजनक हुई है। आज भारतवर्ष में स्त्रियों की पुरुषों की भाँति समान अधिकार प्राप्त है।

ये जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में चाहे वह धार्मिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं शैक्षिक हों पुरुष के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर कार्य कर रही हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. पाण्डेय, रामशकल डॉ., उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक अग्रवाल पब्लिकेषन, आगरा–2 पृ.682.
2. गुप्ता, अरुणा डॉ., टण्डन उमा डॉ.,उदीयमान भारतीय समज में शिक्षक, आलोक प्रकाशन, लखनऊ पृ. 569.
3. वही पृष्ठ 569.
4. वही पृष्ठ 569.
5. भारतीय संविधान, अनु. 15(1),16(1),16(2).
6. रुहेला, पाल सत्य प्रो. शिक्षा के दार्शनिक तथा समाज शास्त्रीय आधार, अग्रवाल पब्लिकेशन्स, आगरा–2 पृ. 248.
7. गुप्ता, अरुणा डॉ., टण्डन उमा डॉ. उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, आलोक प्रकाशन लखनऊ, पृ. 570
8. लाल, बिहारी रमन, भारतीय शिक्षा का विकास एवं उसकी समस्याएँ रस्तोगी पब्लिकेषन्स, मेरठ, पृ. 202.
9. वही पृष्ठ 203.
10. त्यागी, एवं पाठक, भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं विकास, बुकमान पब्लिकेषन्स दिल्ली, पृ. 95.
11. गुप्ता, पी.एस.प्रो. भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास, शारदा पुस्तक भावन, इलाहाबाद पृ. 117.
12. वही पृष्ठ 123.
13. सिद्दकी, हुसैन मुजीबुल डॉ. वूमेन एजूकेशन, ए रिसर्च अप्रोच, आशीष पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली पृ. 45.
14. गुप्ता, पी.एस.प्रो. भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद पृ. 227.

15. लाल, बिहारी रमन, भारतीय शिक्षा का विकास एवं उसकी समस्याएँ रस्तोगी पब्लिकेशन्स मेरठ पृ. 289.
16. पाठक, डी.पी. भारतीय शिक्षा का इतिहास, अग्रवाल पब्लिकेशन्स पृ. 150.
17. सिंह, मदन, समावेशी शिक्षा आर.लाल. बुक डिपो मेरठ पृ.51.
18. दर्पण प्रतियोगिता मई 2018. आगरा, पृ. 90.

*****